

ग्रामीण सेवा शिविर - 2025, ग्राम पंचायत :.....I.P.J.M.....

फार्म नं.- III
फर्द अहकाम
(नियम-26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी

मुकाम श्रीविजयनगर

बनाम

सरकार


अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

नम्बर 312 सन् 2025

जी.सी.एम.एस. आईडी :2025 / 498

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी किये गये
17-10-25	<p>प्रार्थी की ओर से शिविर में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती हेतु निवेदन किया। रिपोर्ट पटवारी हल्का / भू.अ.नि. / नायब तहसीलदार / तहसीलदार श्रीविजयनगर के द्वारा दुरुस्ती किए जाने की अनुशंषा की गई है। पत्रावली का अवलोकन किया। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर राजस्व रिकार्ड जमाबंदी चकI.P.J.M..... खाता सं.P.P. में</p> <p>के स्थान पर रदन SBBJ शाखा SBNR रदन SBI शाखा SBNR</p> <p>.....की दुरुस्ती किये जाने के आदेश दिए जाते है। शेष अंकन यथावत रहेगा। आदेश की तहरीर पृथक से जारी हो।</p> <p>निर्णय मजमा-ए-आम में सुनाया गया। पत्रावली फँसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।</p>	




शकुन्तला
उपखण्ड अधिकारी
श्रीविजयनगर